न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 92/2018 (2018/00318)

1. श्री रामस्वरूप पुत्र रामदेव
2. भंवरलाल पुत्र गोपाल

समस्त जाति कुमावत निवासी देवलियाखुर्द तहसील केकडी जिला अजमेर।

---वादीगण

♠ बनाम ♠

1. तेजमल पुत्र छीतर माली
2. घीसालाल पुत्र भूरा माली
3. शिवनारायण पुत्र भूरा माली

निवासीगण देवलियाखुर्द तहसील केकडी जिला अजमेर

--- प्रतिवादीगण

4. लालाराम पुत्र रामदेव
5. कालू पुत्र गोदू
6. नाथी पत्नि गोपाल
7. भंवरलाल पुत्र गोपाल
8. रामराज पुत्र गोपाल
9. दयाशंकर पुत्र गोपाल
10. देवराज पुत्र गोपाल
11. चतरू पत्नि रामधन
12. घीसालाल पुत्र रामधन

समस्त जाति कुमावत निवासीगण देवलियाखुर्द तहसील केकडी जिला अजमेर

13. राजस्थानसरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार केकडी जिला अजमेर।

--- प्रफॉर्मा प्रतिवादीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, भू.रा.अधि. एव 188, 209 राज. लैण्ड रेवेन्यु एर्क्ट

आदेश

दिनांक 02.12.2021

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग अभियान केम्प कणोज तहसील केकडी जिला अजमेर में प्रस्तुत हुई। प्रार्थी /अप्रार्थीगण उपस्थित। उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थी द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. एव.,188,209_ राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके **ग्राम देवलियाखुर्द** की जमाबन्दी संवत **2072–75** में दर्ज अंकन निम्मानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:–

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
360–346	1397	0.100	गै.मु.चाह

उपखण्ड अधिकारी केकडी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:39:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उक्त वाद पत्र में वर्णित आराजीयात वादीगण की खातेदारी की आराजीयात है वादीगण ही आराजीयात पर कब्जे काश्त कर पैदावार प्राप्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी वादीगण की कब्जे काश्त, आधिपत्य ,स्वामित्व में है। वादीगण ही मौके पर काबिज है तथा काश्त करता चला आ रहा है। वादीगण की उक्त आराजीयात की सीमाएं अस्पष्ट हो गई है। प्रार्थी आज से चार–पांच महिने पहले भी अप्रार्थीगण संख्या 11 को अपनी खातेदारी की आराजीयात में बाड करने से मना किया तो नहीं माने व वादीगण से लडाई झगडा पर उतारू हो गये। दिनांक 20.2.2018 को वादीगण अपनी खातेदारी की आराजीयात पर गया तब विवाद हुआ। इसलिये पत्थरगढी का वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादीगण एंव उनके परिवारजन रिश्तेदार , नोकर चाकर आदि को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण के कब्जे वाली वर्णित आराजीयात में काश्त करने व जबरन बेदखल करने से रोका जावें। तथा भविष्य में भी इस प्रकार की कार्यवाही नहीं करने हेतु पाबन्द किया जावें इस आशय की डिक्री जारी की जावें।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 हाजिर एवं तहसीलदार केकडी पेरोकार सरकार उपस्थित होये। उन्हें सुना गया। प्रतिवादीगण को पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है तथा स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने में भी उन्हे आपत्ति नहीं है। पेरोकार सरकार द्वारा आदेशिका पर अंकित किया है कि पत्थरगढी करने से राजहित प्रभावित नहीं होता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। वादीगण वाद पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का हक रखते है। प्रतिवादी द्वारा वादपत्र की सहमति का कथन करने से जवाब प्रस्तुत करने तथा तनकी कायम की कोई आवश्यक नहीं है। अतः वादीगण का वाद पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. एंव 188,209 राज.काश्तकारी अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम देवलियाखुर्द की जमाबन्दी संवत 2072–75 के खाता संख्या नया पुराना 360–346 खसरा नम्बर 1397 रकबा क्रमंशः 0.100 किस्म गै.मु.चाह की पत्थरगढी वादीगण द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। एंव प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण एंव प्रफॉर्मा प्रतिवादी गण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करें।इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हों। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2021 को केम्प कणोज मजमे आम मे सुनाया गया।

(विकास पचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:39:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner